

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- गोरखाना  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :- सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस. )

वाद सं० : 198 सन 2018

अनवान :-

1. मनीराम पुत्र बस्तीराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
2. इन्द्राज पुत्र पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
3. राजकुमार पुत्र गणपतराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
4. आशाराम पुत्र शंकरलाल जाति बावरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर

वादीगण

बनाम

1. गणेश 2 लिच्छुराम 3 चुन्नीराम 4 नत्थुराम पि० बस्तीराम जाति बांवरी साकिन ढाणी बावरीयान तहसील रावतसर।
5. रेशमा 6 सुन्दर 7 श्योकारी 8 गोरादेवी पुत्रिया बस्तीराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
9. मुखराम पुत्र पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
10. रेवन्ती पत्नी पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
11. सन्तरों 12 सावित्री पुत्रीयान पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
13. राकेश 14 राजेश 15 सुमन रानी पुत्र/पुत्रीयान गुडी पुत्री पुरखाराम जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
16. बिरबलराम 17 रामरख पि० गणपतराम जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएस तहसील रावतसर तहसील नोहर।
18. विधा पत्नी शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
19. शिशपाल पुत्र शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनटीएम तहसील रावतसर।
20. शारदा पुत्र शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर।
21. रूकमा 22 तुलछी 23 सरबती 24 सजना पुत्रीयान गणपतराम जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 24.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " ( न्याय आपके द्वार - 2018" ) में पेश कर निवेदन कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 243/50 के खसरा न० 414/16.7350 हैक , 426/1 की 19.7590 हैक कुल तादादी 38.494 हैक जिसमें बस्तीराम का 1/4 हिस्सा व बख्तावरी का 5/121 हिस्सा , व खाता संख्या 116/115 के खसरा न० 350/6.590 हैक , खसरा न० 416/1 की 17.5330 हैक कुल 23.5920 हैक जिसमें बस्तीराम का 1/7 हिस्सा , बख्तावरी का अपने पुत्रों के साथ 1/7 हिस्सा, व खाता संख्या 114/84 के खसरा न० 115/4.5540 हैक जिसमें बस्ती का 205-2/7 हिस्सा व बख्तावरी का अपने पुत्रों के साथ 25-5/7 हिस्सा , एवं खाता संख्या 104/76 के खसरा न० 325/5.3130 हैक , 336/1 की 13.6870 हैक 441/4.9710 हैक कुल 23.9710 हैक बख्तावरी व उनके पुत्रों के नाम से दर्ज है।

बस्तीराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 , पुरखाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 तथा पुत्री गुडी है गुडडी फोट हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 है बख्तावरी फोट हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 2 के पिता शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 व वादी संख्या 3 राजकुमार हुए शंकरलाल फोट हो चुका है जिनके जायज वारिसान विधा पत्नि व शिशपाल , शारदा हुए व रूकमा तुलछी सरबती सजना पुत्रीयान बख्तावरी हुए जो प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बस्ती की पुत्रियों ने अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया एवं पुरखाराम के फोट होने पर उसकी पत्नि एवं बहनों ने अपने भाईयों एवं गुडडी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसी प्रकार बख्तावरी के फोट होने पर एक पुत्र शंकरलाल फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी व बेटियों ने अपने बेटे एवं भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दिया है एवं वाद भूमि का आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 स्वयं उपरिथत होकर वादी के वाद को लोक भावना से प्रेरित होकर स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बस्ती की पुत्रियों ने अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया एवं पुरखाराम के फोट होने पर उसकी पत्नि एवं बहनों ने अपने भाईयों एवं गुडडी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसी प्रकार बख्तावरी के फोट होने पर एक पुत्र शंकरलाल फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी


पत्नी व बेटियों ने अपने बेटे एवं भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दिया है एवं वाद भूमि का आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार बस्तीराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8, पुरखाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 तथा पुत्री गुडी है गुडडी फोट हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 है बख्तावरी फोट हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वादी संख्या 2 के पिता शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 16, 17 व वादी संख्या 3 राजकुमार हुए शंकरलाल फोट हो चुका है जिनके जायज वारिसान विधा पत्नि व शिशपाल, शारदा हुए व रूकमा तुलछी सरबती सजना पुत्रीयान बख्तावरी हुए जो प्रतिवादी संख्या 22 ता 24 है जो मृत्यु प्रमाण एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बस्ती की पुत्रियों ने अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया एवं पुरखाराम के फोट होने पर उसकी पत्नि एवं बहनों ने अपने भाईयों एवं गुडडी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसी प्रकार बख्तावरी के फोट होने पर एक पुत्र शंकरलाल फोट हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी व बेटियों ने अपने बेटे एवं भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दिया है एवं वाद भूमि का आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 5 व राजीनामा में दर्ज है के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु वादीगण की बहनों ने अपने हकों का त्याग किया गया है जिसके कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्युटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनर के खाता संख्या 234/50 की कुल 38.4940 हैक् भूमि में बस्ती वल्द जोरा का 1/4 हिस्सा में नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 5/24 हिस्सा बहिब तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/24 हिस्सा बहिब, तथा बख्तावरी व शंकरलाल मृतक का नाम कलमजन कर उनका हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16, 17 का 15/584 हिस्सा अर्थात् (1.1910 हैक्) तथा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 5/484 हिस्सा अर्थात् 0.3970 हैक् भूमि रहेगी तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 116/115 की कुल 23.5930 हैक् भूमि में बस्ती का 1/7 हिस्सा में नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 5/42 हिस्सा बहिब वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/42 हिस्सा बहिब एवं बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16, 17 का 3/28 हिस्सा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 1/28 हिस्सा भूमि रहेगी एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 114/84 की कुल 4.5540 हैक् भूमि में बस्ती का नाम कलमजन कर उनका 205-5/7 हिस्सा भूमि के वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 171 हिस्सा बहिब व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 34-5/7 हिस्सा एवं बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16, 17 का 19 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 6'5/7 हिस्सा बहिब भूमि रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 104/76 की कुल 23.9710 हैक् भूमि में बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 व 17 का 3/4 हिस्सा बहिब वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 1/4 हिस्सा बहिब भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

  
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोट-गोरखाना

**पर्चा डिक्री**

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

राजस्व लोक अदालत ( न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट-गोरखाना

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

**अज अदालत :- सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)**

अनवान :-

1. मनीराम पुत्र बस्तीराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
2. इन्द्राज पुत्र पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
3. राजकुमार पुत्र गणपतराम जाति बांवरी निवासी चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
4. आशाराम पुत्र शंकरलाल जाति बावरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर

वादीगण

बनाम

1. गणेश 2 लिच्छुराम 3 चुन्नीराम 4 नत्थुराम पि0 बस्तीराम जाति बांवरी साकिन ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
5. रेशमा 6 सुन्दर 7 श्योकारी 8 गोरादेवी पुत्रिया बस्तीराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
9. मुखराम पुत्र पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
10. रेवन्ती पत्नी पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
11. सन्तरों 12 सावित्री पुत्रीयान पुरखाराम जाति बांवरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर
13. राकेश 14 राजेश 15 सुमन रानी पुत्र/पुत्रीयान गुडी पुत्री पुरखाराम जाति बावरी निवासी ढाणी बावरियान तहसील रावतसर।
16. बिरबलराम 17 रामरख पि0 गणपतराम जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएसतहसील रावतसर
18. विधा पत्नी शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर
19. शिशपाल पुत्र शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनटीएम तहसील रावतसर।
20. शारदा पुत्र शंकरलाल जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर।
21. रूकमा 22 तुलछी 23 सरबती 24 सजना पुत्रीयान गणपतराम जाति बांवरी साकिन चक 2 एनजीएम तहसील रावतसर।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 198 सन 2018 निर्णय दिनांक- 24.05.2018**

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनर के खाता संख्या 234/50 की कुल 38.4940 हैक् भूमि में बस्ती वल्द जोरा का 1/4 हिस्सा में नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 5/24 हिस्सा बहिब तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/24 हिस्सा बहिब , तथा बख्तावरी व शंकरलाल मृतक का नाम कलमजन कर उनका हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 का 15/584 हिस्सा अर्थात (1.1910 हैक्) तथा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 5/484 हिस्सा अर्थात 0.3970 हैक् भूमि रहेगी तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 116/115 की कुल 23.5930 हैक् भूमि में बस्ती का 1/7 हिस्सा में नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 5/42 हिस्सा बहिब वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/42 हिस्सा बहिब एवं बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 का 3/28 हिस्सा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 1/28 हिस्सा भूमि रहेगी एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 114/84 की कुल 4.5540 हैक् भूमि में बस्ती का नाम कलमजन कर उनका 205-5/7 हिस्सा भूमि के वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम 171 हिस्सा बहिब व वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 का 34-5/7 हिस्सा एवं बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 ,17 का 19 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 6'-5/7 हिस्सा बहिब भूमि रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 104/76 की कुल 23.9710 हैक् भूमि में बख्तावरी व शंकरलाल का नाम कलमजन कर वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 16 व 17 का 3/4 हिस्सा बहिब वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 19 का 1/4 हिस्सा बहिब भूमि रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

*Saidi*  
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
कैम्प कोर्ट-गोरखाना